न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/0068 (68/2021) 225 आरटीएक्ट

पतराम पुत्र. श्री गणपतराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. विमला देवी पत्नी किसनाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी , दिनांक 26.03.2021

प्रकरण संख्या 026/2019 बअनवानी विमला देवी बनाम पतराम आदि

श्री दिलीप सिंह चौहार, अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री संजय चांडक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक – 12.10.2021

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ''क'' के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:21 IST
Reason: SelfAttested

कथन किया कि उसकी तहसील पीलीबंगा के चक नं. 25 पी.बी.एन. के खाता संख्या 131/120 में 1.352 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा अप्रार्थी पतराम के नाम इसी चक के खाता संख्या 84/75 में कुल 2.023 है0 नाली प्रथम मय गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी की चक 25 पीबीएन के प. नं. 17/354 (127) किला नं. 4/0.025 है0 खातेदारी भूमि जो किला नं. 5 के चिपती हुई में रास्ता दर्ज करने का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थी ने उपस्थित आकर प्रार्थना–पत्र का विरोध किया कि यदि इसकी भूमि में रास्ता मंजूर किया जाताहै तो उसकी कृषि भूमि के दो टुकड़े हो जायेंगे। अप्रार्थीया अपनी कृषि भूमि के किला नं. 5 व 6 में पूर्वी दिशा में रास्ता देना चाहता है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता यदि दिया जाता है तो भविष्य में अन्य काश्तकारों द्वारा रास्ता मांगने पर अप्रार्थी की भूमि के अनेक टुकड़े हो जायेंगे। अप्रार्थी किला नं. 1, 5, 6 में रास्ता स्वीकृत करवाये तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

3. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृति के आदेश दिये एवं बदले में रेस्पो0 सं0 1 की भूमि चक 25 पीबीएन के प. नं. 17/354 (127) किला निं. 8 की 0.025 है0 भूमि अप्रार्थी/अपीलाण्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ का अपीलाधीन कतई गलत, विधि विरूद्ध, एकपक्षीय एवं अनुचित है जो अपास्त किये जाने योग्य है। यह रास्ता स्वीकृत करने से अपीलाण्ट की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:21 IST
Reason: SelfAttested

के दो टुकड़ों में विभाजित होगी। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का अपनी कृषि भूमि 5, 6 में पूर्वी दिशा में रास्ता देना चाहती है अगर वह यह रास्ता नहीं लेना चाहती है तो अपीलाण्ट की कृषि भूमि के किला नं. 1 में पश्चिम दिशा में रास्ता देने के लिए तैयार है अगर यहां रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो दूसरे काश्तकारान को भी आने जाने में सुविधा होगी इनत तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायलाय ने कोई गौर नहीं किया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत रेस्पो0 सं0 1 की भूमि में रास्ता के बदले में दिये जाने का आदेश दिया है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की भूमि अनुपयोगी है व अपीलाण्ट की भूमि उपजाउ है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। तहसीदार पीलीबंगा से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलधीन निर्णय पारित किया गया हैं अपीलाण्ट को भूमि के बदले में भूमि दी गई है। उसे कोई नुकसान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक 25 पी.बी.एन. के प. नं. 17/354 (127) के किला नं. 4/.025 है0 में रास्ता स्वीकृत करते हुए रास्ते में आई भूमि के बदले में 0.025 है0 भूमि देने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि वह किला नं. 1, 5, 6 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार पीलीबंगा का पत्र क्रमांक राजस्व/2020/26 दिनांक 12.01.2021 संलग्न है जिसमें प्रार्थी की भूमि के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:21 IST
Reason: SelfAttested

है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता किला नं. 4 के अलावा कि. नं0 3 में दिया जा सकता है। इस पत्र से स्पष्ट है कि रेस्पो0 के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्गनत रास्ता स्वीकृत किया है और रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि दिये जाने के आदेश दिये हैं। इससे अपीलाण्ट को हुए किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2021 यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

12/10/21

(करतार सिह पूनियॉ)
आर. ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:20:21 IST
Reason: SelfAttested